न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2024

प्रार्थी

1. श्री नासिर खां पुत्र श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री अमजद खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री अलफात खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री असलम खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्री आरिफ खां पुत्र श्री अब्दुल अजीज खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. श्रीमती कमरूननिस्सा पत्नि श्री अब्दुल अजीज खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. श्री कामरान खां पुत्र श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
9. श्री मौसिम खां पुत्र श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
10. सुश्री रेहाना खागन पुत्री श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
11. सुश्री विकारूनिशा पुत्री श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलगान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
12. सुश्री सुरैया पुत्री श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
13. श्रीमती साविरा पत्नि श्री अब्दुल हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

विपक्षीगण

1. भूमि अवाप्ति प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (**Deputy Chief Engineer Construction, Aburoad**) तारंगाहिल –अम्बाजी–आबूरोड नई रेलवे लाईन, रेलवे अस्पताल के पास आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार [illegible] अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या दो अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक : [illegible].2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 20(F)(6) रेलवे(संशोधित) अधिनियम, 2008 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मौजा सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 465 व 1071 की भूमि तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड रेलवे लाईन हेतु अवाप्त की गई भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत् आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा संख्या 1082/2, 1071 व 465 मौजा सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड द्वारा अवाप्त की जाकर उसका एवार्ड जारी किया है, जो गलत है। यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की सिंचित कृषि आराजी खसरा संख्या 1082/2 की 0.0831 हैक्टेयर, 1071 की 0.2976 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 465 की 0.4552 हैक्टेयर आराजी को अवाप्त किया गया है। प्रार्थी की उक्त सभी भूमि मुख्य सडक से 100 मीटर से 500 मीटर के भीतर स्थित है, लेकिन उक्त खसरा संख्या 1071 की 0.2976 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा संख्या 465 की 0.4552 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 500 मीटर से अधिक होना दर्शाकर सिंचित कृषि भूमि का दिया गया है, जबकि प्रार्थी की उक्त आराजी 100 से 500 मीटर के भीतर स्थित होने से अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण की आराजी का मुआवजा कम दिया गया है, जिसे बढोतरी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यह है कि प्रार्थीगण अपनी अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है एवं मौके पर उक्त भूमि 100 से 500 मीटर की परिधी में होने के बावजूद उसका मुआवजा 500 मीटर की परिधी के बाहर का मुआवजा दिया गया है, जो गलत है। यह है कि तारंगाहिल आबूरोड न्यू रेलवे लाईन प्रोजेक्ट के तहत भूमि अवाप्ति के दौरान दिनांक 28.12.2023 को सुनवाई रखी गई थी, जिसमें भूमि अवाप्ति में आने वाले हितबद्ध धारियों द्वारा क्लेम व आपत्तियाँ भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 12.01.2024 को अपनी रिपोर्ट तहसीलदार आबूरोड को प्रेषित की थी, जिसमें खसरा संख्या 1071 तथा 465 को नेशनल हाईवे सडक के मध्य से 100 से 500 मीटर की परिधी में आने बाबत् स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है, फिर भी दिनांक 31.01.2024 को पारित एवार्ड में 500 मीटर की परिधी से बाहर स्थित भूमि का मुआवजा दिया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। यह है कि प्रार्थीगण के इसी खसरा में से पूर्व में विक्रय की गई भूमि का मुआवजा 100 से 500 मीटर की परिधी में भूमि को मानकर मुआवजा दिया गया है तथा उसी चक की भूमि को 500 मीटर के बाहर की भूमि मानकर मुआवजा दिया गया है, जो सर्वथा गलत है। यह है कि दिनांक 20.02.2024 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिस पर एवार्ड की जानकारी होने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की आराजी का मुआवजा गलत निर्धारित किया गया है, जिस पर प्रार्थीगण ने पुनः जांच कर सही मुआवजा निर्धारण किए जाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक के पास आवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा तहसीलदार से जांच करवाई गई, जिसमें दिनांक 01.04.2024 को तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दी गई कि प्रार्थीगण के उक्त दोनों खसरा संख्या 1071 व 465 की भूमि हाईवे के मध्य से 100 से 500 मीटर की परिधी में स्थित है, फिर भी प्रार्थी को 500 मीटर की परिधी से बाहर का मुआवजा दिया जा रहा है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

न्यायसंगत नहीं है। यह है कि उपपंजीयक द्वारा डी.एल.सी. दर भेजी गई, जिसमें खसरा संख्या 1071 व 465 की भूमि को 100 मीटर से 500 मीटर की परिधी में बताया गया है एवं मौके पर स्थित पूर्व में भी वही थी तथा आज भी वही है, फिर भी गलत मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि एवार्ड में अन्य देय लाभ आदि भी नहीं दिलाए गए है, जबकि प्रार्थी को अपनी सिंचित कृषि भूमि से वंचित होना पड रहा है, उसका रकबा भी कम हुआ है, जिससे प्रार्थीगण को अत्यधिक मानसिक पीडा भी हो रही है। अतः विधिक तथा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखकर एवार्ड पारित नहीं किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित एवार्ड को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें तथा प्रार्थी की अवाप्त की जा रही भूमि को हाईवे के मध्य से 100 से 500 मीटर की परिधी में मानते हुए व मौके की स्थिति के अनुसार मुआवजा दिए जाने के आदेश प्रदान करावें तथा अन्य देय हितलाभ सहित मुआवजा निर्धारित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि तारंगाहिल अम्बाजी आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना में ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 1082/2, 1071 व 465 की भूमि अवाप्ति होने से दिनांक 31.01.2024 को अवार्ड जारी किया गया था। यह है कि डी.एल.सी. दिनांक 25.05.2023 के अनुसार खसरा संख्या 1071 व 465 सडक सीमा से 101 से 500 मीटर में अंकित नहीं थे, परन्तु अवार्ड जारी दिनांक 31.01.2024 के पश्चात उपपंजीयक आबूरोड द्वारा दिनांक 28.03.2024 को जारी डीएलएसी में उक्त खसरा नम्बर 101 से 500 मीटर में अंकित करते हुए प्रमाणित प्रति जारी की गई एवं तहसीलदार आबूरोड की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु अवार्ड के समय उपपंजीयक कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार 500 मीटर की दूरी पर अंकित होने से 500 मीटर की दूरी मानते हुए अवार्ड जारी किया गया। यह है कि प्रार्थीगण की अवाप्त की जा रही भूमि तहसीलदार आबूरोड की जांच अनुसार 101 से 500 मीटर में आती है एवं पूर्व में उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त डीएलसी अनुसार निर्धारण किया गया था। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की तहसीलदार आबूरोड द्वारा जांच कराई गई थी, उक्त जांच अनुसार खसरा नम्बर 465 व 1071 नेशनल हाईवे सडक के मध्य से 101 से 500 मीटर की परिधी में स्थित है, परन्तु अवार्ड में उपपंजीयक कार्यालय स्तर पर डीएलसी अपडेट नहीं होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान को 500 मीटर से दूर की स्थित मानते हुए भूमि का मुआवजा का निर्धारण किया गया है। यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अवार्ड पारित किया गया है एवं खसरा संख्या 465 व 1071 हाईवे से 101 से 500 मीटर की परिधी में आते है, परन्तु सहवन से उपपंजीयक कार्यालय द्वारा 500 मीटर मानते हुए डीएलसी निर्धारण हुई थी एवं उपपंजीयक कार्यालय द्वारा अवार्ड के बाद संशोधन किया गया है। अवार्ड दिनांक 31.01.2024 को पारित हो चुका था एवं अवार्ड पारित होने के पश्चात संशोधन भूमि अवाप्ति अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से किया जाना संभव नहीं था। यह है कि पारित अवार्ड में डीएलसी में उक्त खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से मुआवजा का निर्धारण 500 मीटर से दूर मानते हुए दिया गया था एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट एवं संशोधित डीएलसी अनुसार खसरा नम्बर 1071, 465 सडक से 101 से 500 मीटर की परिधी में होने से मुआवजा का निर्धारण नियमानुसार

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जाना है। यह है कि उक्त खसरों के पास स्थित अन्य खसरान भी 101 से 500 मीटर की परिधी में होने के कारण उक्त खसरों को भी 101 से 500 मीटर की परिधी में माना जाकर डीएलसी का निर्धारिण किया गया है।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जबाव में यह अंकित किया गया है कि तारंगाहिल अम्बाजी आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोजना में ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 1082/2, 1071 व 465 की भूमि अवाप्ति होने से दिनांक 31.01.2024 को अवार्ड जारी किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारीं आबूरोड द्वारा पारित एवार्ड सही एवं विधि पूर्वक पारित किया गया है। पारित अवार्ड अनुसार रेलवे विभाग द्वारा अवार्ड राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी आबूरोड के खाते में जमा करवा दी गई है। भूमि अवाप्त अधिकारी आबूरोड द्वारा उक्त खसरा नम्बरान को उपलब्ध साक्ष्य अनुसार अवार्ड पारित किया गया है, जो भूमि अवाप्ति अधिकारी से सम्बन्धित है। रेलवे विभाग पारित अवार्ड अनुसार राशि जमा कराने तक सीमित है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी या न्यायालय के आदेशानुसार कोई संशोधित अवार्ड पारित किया जाता है तो संशोधित अवार्ड अनुसार अन्तर राशि रेलवे विभाग जमा कराने हेतु बाध्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जबाव का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 1082/2, 1071 एवं 465 की भूमि में से क्रमशः 0.0831, 0.02976 एवं 0.4552 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड द्वारा तारंगाहिल–अम्बाजी–आबूरोड विशेष रेल लाईन परियोज़ना हेतु अवाप्त की गई थी एवं उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा खसरा संख्या 1082/2 को सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना मानकर दिया गया था एवं खसरा संख्या 1071 एवं 465 को सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होना मानकर दिया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 1071 एवं 465 भी सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होना मानकर दिया गया था एवं प्रार्थी को उक्त मुआवजा की जानकारी होने पर उसके द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें करवाई गई जांच में भी उक्त खसरा नम्बरों को सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा का निर्धारण उपपंजीयक कार्यालय [illegible] 2023 को जारी डी.एल.सी रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। [illegible]जीयक कार्यालय आबूरोड द्वारा दिनांक 25.05.2023 को जारी [illegible] 1082/2 सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की [illegible] थे एवं शेष खसरा संख्या 1071 एवं 465 सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक [illegible] पर स्थित होना अंकित होने से मुआवजे का निर्धारण भी 500 मीटर से अधिक दूरी के लिए निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर निर्धारण किया गया था। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि के दिए गए

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मुआवजा के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर भूमि अवाप्त अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें पटवारी हल्का सांतपुर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सांतपुर द्वारा दिनांक 12.01.2024 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 465 एवं 1071 नेशनल हाईवे संख्या 27 के मध्य से 101 से 500 मीटर के मध्य में आते है एवं दिनांक 18.09.2018 के बाद से उक्त खसरों का बेचान अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं हुआ है। इसके पश्चात तहसीलदार आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/तारंगा हिल/2024/04 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 1082/2, 1071 एवं 465 सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की परिधी के अन्तर्गत स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह स्वीकार किया गया है कि खसरा संख्या 465 व 1071 हाईवे से 101 से 500 मीटर की परिधी में आते है, परन्तु सहवन से उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड द्वारा 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित मानते हुए डीएलसी निर्धारण हुई थी एवं उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड द्वारा अवार्ड जारी होने के बाद संशोधन किया गया है। अवार्ड दिनांक 31.01.2024 को पारित हो चुका था एवं अवार्ड पारित होने के पश्चात संशोधन भूमि अवाप्ति अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से किया जाना संभव नहीं था। उक्त खसरा संख्या 1071 एवं 465 के पास स्थित अन्य खसरान भी सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की परिधी में माना जाकर डी.एल.सी. का निर्धारण किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड द्वारा दिनांक 25.05.2023 को जारी डी.एल.सी. रिपोर्ट में खसरा संख्या 1082/2 सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित अंकित किया है एवं शेष खसरा संख्या 1071 एवं 465 सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना अंकित किया है, परन्तु उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड द्वारा ही दिनांक 28.03.2024 को जारी डी.एल.सी. रिपोर्ट में उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 1071 एवं 465 को भी सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना अंकित किया गया है। चूंकि उक्त अवाप्तशुदा भूमि एक अचल सम्पत्ति है और मौके पर पूर्व में भी वही स्थित थी तथा आज भी वही स्थित है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि मौजा सांतपुर के खसरा संख्या 1071 एवं 465 सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की परिधी में स्थित है, परन्तु उपपंजीयक कार्यालय में डी.एल.सी. अपडेट नहीं होने से उक्त खसरा संख्या 1071 एवं 465 को सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना अंकित किया गया था। इसके अलावा उक्त खसरा संख्या 1071 एवं 465 के पास स्थित अन्य खसरों को भी सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की परिधी में होना माना गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो रेलवे विभाग द्वारा भी अपने जबाव में यह अंकित किया गया है कि रेलवे विभाग पारित अवार्ड अनुसार राशि जमा कराने तक सीमित है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी या न्यायालय के आदेशानुसार कोई संशोधित अवार्ड पारित किया जाता है तो संशोधित अवार्ड अनुसार अन्तर राशि रेलवे विभाग जमा कराने हेतु बाध्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 1071 एवं 465 का मुआवजा सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी स्थित होना मानकर निर्धारण किया जाना चाहिए था, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधिकारी आबूरोड द्वारा उक्त खसरा संख्या 1071 एवं 465 का मुआवजा सडक सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होना मानकर निर्धारण किया गया है, जिसे प्रार्थीगण को भारी नुकसानकारित होना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा खसरा संख्या 1071 एवं 465 के सम्बन्ध में दिनांक 31.01.2024 को जारी अवार्ड को निरस्त किया जाकर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 1071 एवं 465 का मुआवजा सडक सीमा से 101 से 500 मीटर की दूरी में स्थित होना मानकर निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करावें। मुआवजा निर्धारण की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,(आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner